

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक/माल-भाड़ा, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, दिल्ली मंडल, दिनांक 12.10.2018 को पंजीकृत पट्टाधारकों से (पंजीकरण दिल्ली मंडल द्वारा या गंतव्य स्टेशन के मंडल/जोन के द्वारा किया गया हो) निम्नलिखित गाड़ियों में 23 टन स्पेस की पार्सल वेन को राउंड ट्रिप आधार पर पांच वर्षों की अवधि (केवल लंबी अवधि के पट्टे) के लिए देने हेतु निविदाएं आमंत्रित करता है। कॉन्ट्रैक्ट देने की तिथि से पार्सल वेन के एक मुश्त पट्टा माल-भाड़े में पहले तीन वर्षों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तत्पश्चात चौथे वर्ष से प्रारम्भ करते हुए तत्काल पिछले चालू वर्ष के एक मुश्त पट्टा माल भाड़ा पर 10% प्रति वर्ष की बढ़ोतरी लागू होगी।

क्रम सं.	गाड़ी सं.	से	तक	तक	वजन टन में)	गाड़ी की स्केल दर	सप्ताह में गाड़ी के दौरे	आरक्षित मूल्य (रु. में) प्रति पार्सल वेन (राउंड ट्रिप आधार पर 23 टन सीसी के लिए)	धरोहर राशि (रु. में)
1.	12873/ 12874	ANVT-आनंद विहार टर्मिनल	HTE-हटिया	ANVT-आनंद विहार टर्मिनल	23	R	03 दिन	1,84,262	4,00,000
2.	14205/ 14206	DLI-दिल्ली ज.	FD-फैजाबाद	DLI-दिल्ली ज.	23	R	प्रतिदिन	92,381	4,00,000
3.	14207/ 14208	DLI-दिल्ली ज.	PBH-प्रतापगढ़ ज.	DLI-दिल्ली ज.	23	R	प्रतिदिन	98,043	4,00,000
4.	13413/ 13414	DLI-दिल्ली ज.	MLDT-मालदा टाउन ज.	DLI-दिल्ली ज.	23	R	03 दिन	1,92,552	4,00,000
5.	13483/ 13484	DLI-दिल्ली ज.	MLDT-मालदा टाउन ज.	DLI-दिल्ली ज.	23	R	04 दिन	1,98,013	4,00,000
6.	12402/ 12401	NDLS-दिल्ली ज.	IPR-इस्लामपुर ज.	NDLS-नई दिल्ली	23	R	प्रतिदिन	1,50,403	4,00,000

**टिप्पणी:-**

1. रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित 2% विकास शुल्क पट्टाधारक द्वारा माल की बुकिंग/मेनिफेस्ट जारी करते समय भाड़े के साथ देय होगा। यदि रेल प्रशासन द्वारा भविष्य में कोई वृद्धि की जाती है तो विकास शुल्क दर पर यह वृद्धि लगाई जाएगी।

2. सफल निविदाकर्ता को रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित गुड्स एंड सर्विस कर (जीएसटी) (वर्तमान में जो भी लागू है) को माल की बुकिंग के समय भाड़े के साथ जमा करवाना होगा। यदि रेल प्रशासन द्वारा भविष्य में कोई वृद्धि की जाती है तो वस्तु एवम् सेवा कर (जीएसटी) वृद्धि पर यह वृद्धि लगाई जाएगी।

निविदाकर्ता को निविदा जमा कराते समय निविदा फार्म में निम्नलिखित जानकारी देनी होगी, ना देने पर उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा:-

(i) जितने दिनों के लिए पट्टा अपेक्षित है: ऐसे मामलों में जहाँ पट्टाधारक उपलब्ध सेवा के सभी दिनों में पट्टा कॉन्ट्रैक्ट को नहीं चलाना चाहता है, वहाँ उसे सप्ताह के विशेष दिन का उल्लेख करना होगा। (जैसे - सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, आदि), जिन दिनों में वह पट्टा कॉन्ट्रैक्ट को चलाना चाहता है।

(ii) जितने दिनों की छुट्टी अपेक्षित है: @ प्रति 30 पट्टा परिचालनों के बाद एक छुट्टी अर्थात एक कैलेण्डर वर्ष के दौरान अधिकतम 12 छुट्टी।

(iii) इंटरमीडिएट लादान/उतराई सुविधा: निविदाकर्ता को इंटरमीडिएट स्टेशनों का नाम भी बताना होगा जहाँ वह लादान/उतराई करना चाहता है। जितने स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग प्रतिबंधित है वहाँ लादान/उतराई की सुविधा नहीं दी जाएगी।

यदि निविदाकर्ता द्वारा निविदा फार्म में छुट्टी के लिए उपलब्ध कराए गए कालों को खाली छोड़ा गया है तो यह समझा जाएगा की निविदाकर्ता कॉन्ट्रैक्ट अवधि के दौरान नीति दिशा निर्देश के अनुसार कोई छुट्टी नहीं लेगा।

इस संबंध में जानकारी के लिए दि: 11.10.2018 को 17.00 बजे तक वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक/माल-भाड़ा, उ. रे., मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, दिल्ली मंडल नई दिल्ली के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क कर सकते हैं। निविदा फार्म नियमों और शर्तों के साथ 12.10.2018 को 15.00 बजे तक सील बंद लिफाफे में जमा कराया जा सकेगा।

इसके पश्चात निविदाओं को तुरंत निविदाकर्ता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जाएगा। निविदा फार्म के साथ निविदा के नियम एवम् शर्तें तथा अन्य सूचनाएं वाणिज्य शाखा, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, नई दिल्ली से 11.10.2018 को 17.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस पर रु. 2360/- (दो हजार तीन सौ साठ मात्र नॉन-रिफंडबल) का अलग से भुगतान कर 23 टन पार्सल वेन स्थान के लिए निविदा फार्म प्राप्त कर सकते हैं। निविदाकर्ता को ट्रेन में 23 टन पार्सल वेन स्थान के लिए निविदा फार्म के साथ रु. 4,00,000/- (चार लाख रु. केवल) वरि. मंडल वित्त प्रबंधक, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/अथवा बैंकर चैक के रूप में जमा करना होगा। निविदा फार्म को वेबसाइट [www.nr.indianrailways.gov.in](http://www.nr.indianrailways.gov.in) से 12.10.2018 को 12.00 बजे तक भी डाउनलोड कर सकते हैं।

वेबसाइट से डाउनलोड किए जाने पर वरि. मंडल वित्त प्रबंधक, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली के पक्ष में रु. 2360/- (दो हजार तीन सौ साठ मात्र नॉन-रिफंडबल) का बैंक ड्राफ्ट/अथवा बैंकर चैक निविदा फार्म के शुल्क के रूप में संलग्न हो जिसके बिना निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी। दि. 12.10.2018 को 15.00 बजे के बाद या जमानती जमा राशि के बिना या निविदा फार्म शुल्क के बिना अथवा यदि अन्य जरूरी दस्तावेज जो निविदा प्रपत्र में लिखित हैं, के बिना प्राप्त निविदा को अस्वीकृत किया जाएगा।

इंटरनेट से डाउनलोड किए गए निविदा फार्म में तथा इस कार्यालय में उपलब्ध हार्ड कॉपी में कोई अंतर पाए जाने पर हार्ड कॉपी में उल्लेखित शर्तें ही अंतिम होगी।

निविदाकर्ता को निविदा के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी प्रस्तुत करेगा इसके बिना निविदा फार्म को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। निविदा खुलने के समय निविदाकर्ता पिछले वित्त वर्ष (2017-2018) की आडिटिड बैलेंस शीट व प्राफिट एंड लास लेखा (कम से कम 02 करोड़ की वार्षिक टर्नओवर) (सी.ए. द्वारा प्रमाणित) प्रस्तुत करेगा।

यदि निविदा खोलने की तारीख को छुट्टी घोषित हो जाती है तो निविदा अगले कार्य दिवस पर उसी समय खोली जाएगी।

निविदा को निविदा कक्ष, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, नई दिल्ली में निविदा प्रस्तुत करने हेतु रखे गए निविदा बॉक्स में डालें जाएंगे।

मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली को किसी एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार है।

निविदा फार्म तथा निविदा संबंधी नियम एवं शर्तें वेबसाइट [www.nr.indianrailways.gov.in](http://www.nr.indianrailways.gov.in) पर भी उपलब्ध है।